छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
जिला–रायपुर

Azadi Ka Amrit Mahotsav

क्रमांक एफ 13–3/2022/आ.प्र./1–3 नवा रायपुर, दिनांक 26/05/2022

प्रति,

समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/तहसीलदार
छत्तीसगढ़।

विषय :– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जारी किए जाने वाले जाति प्रमाण पत्रों में "**अंग्रेजी**" **में अधिसूचित जाति** को मान्य करने बाबत्।

संदर्भ :– सामान्य प्रशासन विभाग का समसंख्यक निर्देश दिनांक 13.05.2022

———

कृपया इस विभाग के संदर्भित निर्देश का अवलोकन करें।

2/ संदर्भित निर्देश द्वारा समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ को राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में यह निर्देशित किया गया है कि, छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जारी किए जाने वाले जाति प्रमाण पत्रों में **भारत सरकार द्वारा प्रकाशित छत्तीसगढ़ राज्य के लिए "अंग्रेजी" में अधिसूचित जाति का ही उल्लेख किया जाए।**

3/ चूंकि सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण–पत्र) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार द्वारा जारी किये जाते हैं, अतः निर्देशित किया जाता है कि, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार कार्यालय में भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए प्रकाशित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के "**अंग्रेजी**" **में अधिसूचित जाति नामों की सूची अनिवार्य रूप से चस्पा करें, ताकि आवेदनकर्ताओं एवं आमजनों में भ्रांति खत्म हो सके।**

4/ कृपया उक्त निर्देश का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(डॉ.कमलप्रीत सिंह)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 13–3/2022/आ.प्र./1–3 नवा रायपुर, दिनांक 26/05/2022

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर।
8. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर।

क्रमशः...2

9. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
10. अवर सचिव, मुख्यसचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर।
11. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
12. अध्यक्ष/सचिव अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर।
13. अध्यक्ष, उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग